

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 407/2017

वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.



लालचन्द पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. रामकुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. आदेश कुमार पुत्र श्री इन्द्राज पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सुभाष कुमार पुत्र श्री इन्द्राज पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. संजय कुमार पुत्र श्री इन्द्राज पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. शान्ति देवी पत्नी श्री देवीलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. रमेश कुमार पुत्र श्री देवीलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री बलवंत झोरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 14.02.2023

वादी लालचन्द ने प्रतिवादीगण ओमप्रकाश वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी ने जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता के सगे

लगातार --2

भाई, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 व 8 के दादा के सगे भाई व प्रतिवादीया सं. 7 के ससुर के सगे भाई स्व. रामनारायण पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी नुकेरा से दिनांक 05.06.1969 को चक 3 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2020-23 के खेवट नं. 42 के खतौनी सं. 44 में प.नं. 152/137 मु.नं. 27(वास्तविक मु.नं. 25) के कि.नं. 9 को खरीद किया था। खरीद से लेकर आज तक चक 3 ए.एम.पी. के मु.नं. 25 का किला नं. 9 वादी की कब्जाकाशत में है। कब्जाकाशत बाबत वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 का कोई विवाद नहीं है। चित्रप्रति बैयनामा सलंगन वाद पत्र है। यह कि वादी ने जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता के सगे भाई, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 व 8 के दादा के सगे भाई व प्रतिवादीया सं. 7 के ससुर के सगे भाई स्व. रामनारायण पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी नुकेरा से खरीद के समय उस समय की चालू जमाबन्दी जिसके आधार पर विक्रेता द्वारा बैयनामा लिखाया गया था तथा बैयनामा के साथ सलंगन की गई जमाबन्दी चक 3 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2020-23 के खेवट नं. 42 के खतौनी सं. 44 में प.नं. 152/137 में मु.नं. 27 दर्ज था इस कारण रजिस्ट्री में भी इसी आधार पर सही मु.नं. 25 के स्थान पर मु.नं. 27 अंकित हो गया लेकिन वास्तविक स्थिति यह है कि राजस्व अभिलेख में प.नं. 152/137 का मु.नं. 27 नहीं होकर मु.नं. 25 है जो कि सही है जो कि रजिस्ट्री से पूर्व की जमाबन्दी चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 42/55 जमाबन्दी सम्बत् 2016 के प.नं. 152/137 का मु.नं. 25 दर्ज है तथा रजिस्ट्री के वक्त विक्रेता द्वारा प्रयोग में लाई गई चालू जमाबन्दी के बाद की जमाबन्दी इसी चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 51/41 जमाबन्दी सम्बत् 2028-31 में प.नं. 152/137 का मु.नं. 25 दर्ज है जो कि सही है। उक्त पुरानी जमाबन्दीयां सलंगन वाद पत्र है। यह कि वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता के सगे भाई, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 व 8 के दादा के सगे भाई व प्रतिवादीया सं. 7 के ससुर के सगे भाई स्व. रामनारायण पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी नुकेरा के द्वारा खरीद की गई कृषि भूमि के बैयनामा का ईतकाल बैयनामा के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा चक 2 पी.टी.पी. में खरीद की गई कृषि भूमि का ईतकाल दर्ज कर दिया गया लेकिन चक 3 ए.एम.पी. की उक्त खरीद की गई कृषि भूमि का ईतकाल हल्का पटवारी द्वारा भुलवंश दर्ज होने से रह गया। वर्तमान में वादी ने अपनी उक्त चक 3 ए.एम.पी. की खरीदशुदा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया तो पाया कि उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 12/9 जमाबन्दी सम्बत् 2068-71 खाता ओमप्रकाश वगैरा में विक्रेता रामनारायण पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी नुकेरा के सगे भाई मनीराम के वारिसान के नाम दर्ज है।





वादी ने पुराने राजस्व रिकार्ड का निरीक्षण किया तो पाया कि वादी द्वारा चक 3 ए.एम.पी. की उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि का राजस्व अधिकारियों द्वारा भुलवंश ईतकाल दर्ज होने से रह गया। उक्त चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 12/9 की जमाबन्दी सलंगन वाद पत्र है। यह कि वादी ने जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता के सगे भाई, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 व 8 के दादा के सगे भाई व प्रतिवादीया सं. 7 के ससुर के सगे भाई स्व. रामनारायण पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी नुकेरा से दिनांक 05.06.1969 को चक 3 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्वत् 2020-23 के खेवट नं. 42 के खतौनी सं. 44 में प.नं. 152/137 मु.नं. 25 के कि.नं. 9 को खरीद किया था। उक्त कृषि भूमि खरीद की दिनांक 05.06.1969 से वादी की कब्जाकाशत में बिना किसी बाधा के निरन्तर चली आ रही है। कब्जाकाशत बाबत् उक्त खरीदशुदा कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य कोई विवाद नहीं है। जरिये बैयनामा वादी चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 12/9 जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 खाता ओमप्रकाश वगैरा में प.नं. 152/137 मु.नं. 25 कि.नं. 9/0.253 है. का खातेदार काशतकार है। वादी इसी कदर की घोषणा करवा खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी द्वारा खरीदशुदा एवं कब्जाकाशत की कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से है :-

चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 12/9 जमाबन्दी सम्वत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
152/137	25	9/0.253 है.

कुल 0.253 है. कृषि भूमि

यह कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के नाम से वाद पत्र की चरण सं. 5 में दर्ज कृषि भूमि जो वादी द्वारा जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता के सगे भाई, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 व 8 के दादा के सगे भाई व प्रतिवादीया सं. 7 के ससुर के सगे भाई स्व. रामनारायण पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी नुकेरा से दिनांक 05.06.1969 को खरीदशुदा है जो कि वादी की कब्जाकाशत में है, के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार घोषित करवा खाता अलग कायम करवाने बाबत् कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण आजकल-आजकल कहकर टाल मटोल करते रहे लेकिन अंत में ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने एवं वादी का वाद पत्र, वाद पत्र में चाहे गये



अनुतोष के अनुसार वाद को निर्णित किये जाने की सहमति प्रदान की। प्रतिवादी सं. 9 का जवाब स्टेट पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 3 ए.एम.पी. की जमाबन्दीयां एवं बैयनामा की चित्रप्रति पेश की गई है। साक्ष्य बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 के मध्य कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने एवं वादी का वाद पत्र, वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार वाद को निर्णित किये जाने की सहमति प्रदान की। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने सहमति अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी ने जरिये बैयनामा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पिता के सगे भाई, प्रतिवादी सं. 4 ता 6 व 8 के दादा के सगे भाई व प्रतिवादीया सं. 7 के ससुर के सगे भाई स्व. रामनारायण पुत्र श्री गंगाराम जाति जाट निवासी नुकेरा से दिनांक 05.06.1969 को चक 3 ए.एम.पी. जमाबन्दी सम्बत् 2020-23 के खेवट नं. 42 के खतौनी सं. 44 में प.नं. 152/137 मु.नं. 27(वास्तविक मु.नं. 25) के कि.नं. 9 को खरीद किया था। वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 3 ए.एम.पी. की जमाबन्दीयां एवं बैयनामा की चित्रप्रति पेश की गई है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 8 द्वारा सहमति होने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।

--: क्रियात्मक आदेश :-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि:-

- (क) वादी लालचन्द पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-
- | | | |
|--|--------|-------------------------|
| चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 181/134(पुराना खाता सं. 12/9)ज.स. 2072-75 | | |
| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |
| 152/137 | 25 | 9/1/0.51 है. |
| | | कुल 0.051 है. कृषि भूमि |
| चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 182/134(पुराना खाता सं. 12/9)ज.स. 2072-75 | | |
| प.नं. | मु.नं. | कि.नं. |

152/137 25

9/2/0.50 है.

कुल 0.050 है. कृषि भूमि

चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 20/134(पुराना खाता सं. 12/9)ज.स. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

152/137 25

9/3/0.51 है.

कुल 0.051 है. कृषि भूमि

चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 21/134(पुराना खाता सं. 12/9) ज.स. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

152/137 25

9/4/0.50 है.

कुल 0.050 है. कृषि भूमि

चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 31/12(पुराना खाता सं. 12/9) ज.स. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.

152/137 25

9/5/0.51 है.

कुल 0.051 है. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कर प्रतिवादी सं. 1 ता 6, प्रतिवादी सं. 3 के पुत्र विजय कुमार पुत्र श्री रामकुमार का हिस्सा कम किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 407/2017



लालचन्द पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. महेन्द्र कुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. रामकुमार पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. आदेश कुमार पुत्र श्री इन्द्राज पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. सुभाष कुमार पुत्र श्री इन्द्राज पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. संजय कुमार पुत्र श्री इन्द्राज पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. शान्ति देवी पत्नी श्री देवीलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. रमेश कुमार पुत्र श्री देवीलाल पुत्र श्री मनीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 14.02.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री बलवंत झोरड़ वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 8 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

- (क) वादी लालचन्द पुत्र श्री सहीराम जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

लगातार --2



चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 181/134(पुराना खाता सं. 12/9) ज.स. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.
152/137 25 9/1/0.51 है.

कुल 0.051 है. कृषि भूमि

चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 182/134(पुराना खाता सं. 12/9) ज.स. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.
152/137 25 9/2/0.50 है.

कुल 0.050 है. कृषि भूमि

चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 20/134(पुराना खाता सं. 12/9) ज.स. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.
152/137 25 9/3/0.51 है.

कुल 0.051 है. कृषि भूमि

चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 21/134(पुराना खाता सं. 12/9) ज.स. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.
152/137 25 9/4/0.50 है.

कुल 0.050 है. कृषि भूमि

चक 3 ए.एम.पी. खाता सं. 31/12(पुराना खाता सं. 12/9) ज.स. 2072-75

प.नं. मु.नं. कि.नं.
152/137 25 9/5/0.51 है.

कुल 0.051 है. कृषि भूमि

उक्तानुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर खाता अलग कर प्रतिवादी सं. 1 ता 6, प्रतिवादी सं. 3 के पुत्र विजय कुमार पुत्र श्री रामकुमार का हिस्सा कम किया जावे।

नोट :- यदि डिग्रित वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिग्री किया जावे।

निजX..... निलX..... मुब्लिकX.....निलX..... बाबत्X..
.....निल.....X..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तकX.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 14.02. 2023 को जारी किया जाता है।

(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया